क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क)..... जो दिवंगत (ग).....की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं और ..... के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'निष्पादक' कहा जाएगा) और (घ) ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री और ..... के निवासी हैं और ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री और ..... के निवासी हैं, जो निष्पादक के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे ''सरकार'' कहा जाएगा) मांगे जाने पर और कोई संकोच किए बिना सरकार को वास्तव में देय .....रूपए (.....रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों, और उत्तराधिकारियों को इस बंध पत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... माह .....दो हजार ..... को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) दिवंगत..... अपनी मृत्यु के समय सरकारी सेवा में था/ सरकार से प्रतिमाह .....रूपए (..... रूपए मात्र) की दर से पेंशन प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त (ग).....की मृत्यु दिनांक ..... माह..... 20..... को हुई तथा मृत्यु के समय उसके अवयस्क पुत्र/पुत्री के लिए .....रूपए (.....रूपए मात्र) मृत्यु/ सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और जबकि निष्पादक, उक्त (ग) ..... के अवयस्क बेटे / बेटी के वास्तविक अभिभावक होने के नाते उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा करता है परन्तु अब तक, कथित अवयस्क (अवयस्कों) के सबंध में किसी सक्षम न्यायलय से अभिभावक होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

और जबकि निष्पादक ने (ड.)..... को संतुष्ट कर दिया है कि वह उक्त धनराशि पाने का हकदार है और यह कि यदि निष्पादक को सक्षम न्यायालय से अभिभावक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है तो यह उक्त .....रूपए की राशि के भुगतान से पहले उसके लिए अनुचित देरी और कठिनाई पैदा करेगा।

और जबकि सरकारी नियमों और आदेशों के तहत निष्पादक को उक्त राशि का भुगतान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु निष्पादक के लिए यह अनिवार्य है कि निष्पादक को उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग) को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु एक प्रतिभू/ दो प्रतिभुओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और जबकि निष्पादक और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि निष्पादक को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरूद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में निष्पादक और/ या प्रतिभू..... रूपए की उक्त राशि सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चो के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूरित और हानिरहित रखेंगे *तब* यह बंधपत्र अथवा बाध्यता शून्य होगी और प्रभावी नहीं होगी लेकिन अन्यथा यह पूर्ण वैध, बाध्यकारी और प्रभावी रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबंधित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, निष्पादक द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, निष्पादक पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, माह और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'निष्पादक' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.....
2.....

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1.....
2.....

भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से.....

(गवाह का नाम व पदनाम)

की उपस्थिति में .....

(संविधान के अनुच्छेद 299(।) के अनुसरण में राष्ट्रपति की ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम)

द्वारा स्वीकृत।

टिप्पणी । - (क) दावाकर्ता, जिसे 'निष्पादक' कहा गया है, का पूरा नाम और पता

(ख) दिवंगत कर्मचारी से निष्पादक का संबंध

(ग) दिवंगत सरकारी कर्मचारी का नाम

(घ) पिता/ पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

(ड.) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम

टिप्पणी ।। - इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि निष्पादक और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।